

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
बिहार, पटना

आदेश

मेल/निबंधित

सं0सं0-11/एल0(स्था0)-07/2018-.....441.....(11) /पटना, दिनांक-.....24.5.19

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-10000, दिनांक-10.07.2015 की कंडिका-3(2) में निहित प्रावधान एवं शर्तों के तहत चयन समिति की बैठक दिनांक-19.09.2018 को प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अध्यक्षता में आहूत बैठक की कार्यवाही में सरकार के अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-12717, दिनांक-20.09.2018 के द्वारा की गई अनुशंसा के क्रमांक-12, 17 में अंकित सेवानिवृत्त अचिकित्सा सहायक को निम्नांकित शर्तों के साथ अपर उपाधीक्षक-सह-सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, संचारी रोग, कुष्ठ, रोहतास, सासाराम के पत्रांक-67, दिनांक-23.05.2018 एवं अपर उपाधीक्षक-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक-07, दिनांक-13.01.2018 के आलोक में संविदा के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में ^{काय चिकित्सा} अचिकित्सा सहायक के पद पर नियोजित किया जाता है :-

क्र0	सेवानिवृत्त कर्मी का नाम	सेवानिवृत्त कर्मी का पदनाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि	पदस्थापन के कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्री प्रेम नाथ,	काय चिकित्सक	04.07.1958	31.07.2018	20 शय्या आदर्श कुष्ठ नियंत्रण इकाई, रुद्रपुरा, डिहरी, रोहतास
2.	श्री विपिन बिहारी सिंह,	अचिकित्सा सहायक	01.06.1958	31.05.2018	जिला कुष्ठ निवारण कार्यालय, सिवान

1. यह नियोजन योगदान की तिथि से प्रथमतः दो वर्ष की होगी। काय चिकित्सक/अचिकित्सा सहायक की नियमित नियुक्ति होने पर उनका संविदा नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगा।
2. संकल्प की कंडिका 3 (2) (क) (iv) के तहत कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जाएगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर संविदा रद्द की जा सकेगी।
3. संकल्प की कंडिका 3 (2) (5) के तहत योगदान के समय सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में अ0श0चि0-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. संकल्प की कंडिका 3 (6) (i) के अनुरूप मासिक मानदेय देय होगा। कंडिका 3 (6) (ii) के तहत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा। कंडिका 3 (6) (iv) के तहत सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की तिथि में निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।
5. मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग/कार्यालय स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष संविदा सेवाएँ के लिए अदायेगियों इकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
6. संकल्प की कंडिका-(4) के तहत सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।
7. संकल्प की कंडिका-(5) के तहत आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भौतिक क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

ह0/-

(डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख, (रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।


ज्ञापांक:-11/एल0(स्था0)-07/2018-441(11) /पटना, दिनांक-24.5.19

प्रतिलिपि:- सिविल सर्जन,/अपर उपाधीक्षक-सह-सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, (संचारी रोग, कुष्ठ),/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (कुष्ठ) रोहतासा/सिवान/ जिला कुष्ठ निवारण कार्यालय (संचारी रोग, कुष्ठ) रोहतास/ जिला कुष्ठ निवारण कार्यालय, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, रोहतासा/सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- श्री प्रेम नाथ, सेवानिवृत्त, काय चिकित्सक, 20 शय्या आर्दश कुष्ठ नियंत्रण इकाई, रुद्रपुरा, डिहरी, रोहतास, सासाराम सम्प्रति पैरा केपुरा, पो0-रेपुरिया चुनार, था0-चुनार, जिला- मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, पिन सं0-231304 श्री विपिन बिहारी सिंह, सेवानिवृत्त, अचिकित्सा सहायक, जिला कुष्ठ निवारण कार्यालय, सिवान, सम्प्रति मकान नं0-407/15, निरंकारी भवन के पिछे, उमा नगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश, पिन सं0-274001 को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख, (रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।